



2026:AHC: 176793

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 1122 वर्ष 2026

सुयश तिवारी और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : लाल चंद्र मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आदेश दिनांक 06.08.2026 के माध्यम से, राज्य को बंदी (कार्पस), सुयश तिवारी को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में, थाना महिला थाना, जिला बांदा की उप-निरीक्षक सुश्री मोनी निषाद द्वारा बंदी (कार्पस) को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस) से बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि उसकी आयु लगभग आठ वर्ष है और वह कक्षा 4 में पढ़ रहा है। उसने आगे कहा कि वह वर्तमान में अपनी माता, श्रीमती निधि तिवारी के साथ रह रहा है। बंदी (कार्पस) ने कहा कि उसके पिता, अविनाश तिवारी, अक्सर उसे टोकते हैं और गाली देते हैं और, इसलिए, वह उनके साथ रहने का इच्छुक नहीं है। उसने आगे कहा कि वह अपनी माता की संगति में सहज है और अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अलग रह रही पत्नी, प्रत्यर्थी संख्या 5, श्रीमती निधि तिवारी से भी बातचीत किया, जिसने कहा कि, उसके वैवाहिक घर में कथित तौर पर उसके साथ की गई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



क्रूरता और उत्पीड़न के कारण, वह वर्तमान में याचिकाकर्ता, अविनाश तिवारी के साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि, उसने कहा कि वह याचिकाकर्ता के साथ सहवास फिर से शुरू करने और अपने वैवाहिक घर में रहने के लिए तैयार होगी, बशर्ते उसका पति यह वचन दे कि वह उसके साथ गरिमा और आदर के साथ व्यवहार करेगा और उसे किसी भी क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाएगा।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता, अविनाश तिवारी से भी बातचीत किया। उसने अपनी अलग रह रही पत्नी द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया। हालांकि, न्यायालय द्वारा समझाए जाने पर, उसने वचन दिया कि, यदि उसकी पत्नी बंदी (कार्पस) के साथ उनके वैवाहिक घर में उसके साथ रहने के लिए सहमत होती है, तो वह उसे प्राप्त करेगा और उसके साथ गरिमा, आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करेगा और किसी भी ऐसे कार्य या आचरण में लिप्त नहीं होगा जिससे उसे कोई शिकायत हो या उसके विरुद्ध कोई शिकायत उत्पन्न हो।

प्रत्यर्थी संख्या 5 ने भी वचन दिया है कि वह उचित संयम और शालीनता के साथ आचरण करेगी, बंदी (कार्पस) के प्रति अपनी मातृ जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी, और वैवाहिक घर में कोई अप्रिय या अनियंत्रित स्थिति उत्पन्न नहीं करेगी। उसने न्यायालय से याचिकाकर्ता के साथ तुरंत अपने वैवाहिक घर जाने की इच्छा भी व्यक्त किया है।

न्यायालय के हस्तक्षेप और दोनों जीवनसाथियों द्वारा प्रस्तुत वचनों के दृष्टिगत, वे अपने वैवाहिक घर में शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ रहने का प्रयास करने के लिए सहमत हो गए हैं। इन परिस्थितियों में, इस स्तर पर, बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा के प्रश्न पर अंतिम रूप से न्यायनिर्णयन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। न्यायालय की प्राथमिक चिंता, वर्तमान के लिए, अवयस्क बंदी (कार्पस) का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना और जीवनसाथियों को अपने वैवाहिक मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का अवसर प्रदान करना है।

चूंकि पक्षकार पूर्वोक्त वचनों पर कार्य करने और अपने वैवाहिक संबंध को फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं, इसलिए यह न्यायालय इस स्तर पर वर्तमान याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करने का इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी संख्या 5 और बंदी (कार्पस) निर्धारित अगली तिथि, अर्थात् 29.10.2026 को व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राज्य प्राधिकारियों, साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि, जहां तक संभव हो, जीवनसाथी अपने वैवाहिक घर में शांतिपूर्ण ढंग से रहें और उनमें से किसी के भी द्वारा ऐसा कोई कार्य या आचरण नहीं किया जाए जो दूसरे जीवनसाथी या बंदी (कार्पस) की सुरक्षा या भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सके।

इस मामले को 29.10.2026 को नए के रूप में सूचीबद्ध करें। इस मामले को इस पीठ द्वारा आंशिक सुनवाई वाला माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

20 अगस्त, 2026

हिमांशु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”